रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249042
CG-DL-E-29092023-249042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4082] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/ आश्विन 5 , 1945
No. 4082] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर 2023

का.आ. 4252 (अ).—भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 (1959 की सं0-57) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित संरचना के साथ दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिए एतद्वारा एक समिति गठित करती है :

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री आलोक शेखर, अपर सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	वित्त सलाहकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	सदस्य
4.	उप महानिदेशक (आईआईआईसीयू)/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में आईएसआई संबंधी कार्य सँभाल रहे हैं	सदस्य सचिव

2. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 के अंतर्गत समिति के संबंध में धारा 8(1) के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(I) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) आगामी वित्तीय वर्ष (एफवाई) में शुरू किए जाने के लिए इसके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों/परियोजनाओं को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 सितम्बर तक समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तथापि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, कार्यक्रमों/परियोजनाओं की सूचना के साथ-साथ इनका ब्यौरा और बजटीय आवश्यकताएँ, आदि दिनांक 31-10-2023 तक समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

(ii) समिति, आईएसआई द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और उन कार्यक्रमों/परियोजनाओं, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान द्वारा शुरू किए जाने हेतु उपयुक्त समझा जाता है, के साथ-साथ प्रत्येक कार्यक्रम/परियोजना की बजटीय आवश्यकता की अंतिम सूची तैयार करेगी और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तारीख 22 सितम्बर तक प्रस्तुत करेगी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, समिति कार्यक्रमों/परियोजनाओं के साथ-साथ इनके ब्यौरे और बजटीय आवश्यकताओं आदि की अंतिम सूची मंत्रालय में दिनांक 15.11.2023 तक प्रस्तुत करेगी।

(iii) कार्यक्रमों/परियोजनाओं के प्रस्तावों की समीक्षा करते समय, समिति आईएसआई को यह सुझाव भी देगी कि आईएसआई द्वारा किया जाने वाला व्यय अनुमोदित बजट के भीतर और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुपालन में तथा वित्त मंत्रालय के समय- समय पर यथा संशोधित अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार हों।

(iv) समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अवश्य आयोजित की जाएगी ताकि वह आईएसआई की वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा कर सके और अपनी टिप्पणियों की एक प्रति मंत्रालय को देते हुए उन्हें आईएसआई के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

(v) भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर कोई अन्य जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

3. समिति को भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा सचिवालयी सहायता प्रदान की जाएगी। समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. समिति के गैर सरकारी सदस्य (i) व्यय विभाग दिनांक 13/07/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/1/2017 -ई. 1V के अनुसार टीए/डीए (ii) पात्रता के अनुसार आईएसआई गेस्ट हाउस में आवास के पात्र होंगे।

5. समिति की बैठकों के आयोजन के संबंध में गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित व्यय, इस विषय वस्तु के अधीन सरकारी नियमों के अनुसार, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा और सरकारी सदस्यों के संबंध में यह उनकी पात्रता के अनुसार उनके संबंधित मंत्रालय/संस्थान द्वारा वहन किया जाएग।

[फा. सं. आई-12011/16/2013-आईएसआई]

चन्द्रदीप कुमार झा उप महानिदेशक

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

S.O. 4252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Indian Statistical Institute Act, 1959 (No.57 of 1959), the Central Government hereby constitutes a Committee for the period from 01.04.2023 to 31.03.2026 with the following composition:

SI. No.	Name	Designation
1.	Shri Alok Shekhar, Additional Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation	Chairperson
2.	Financial Advisor, Ministry of Statistics and Programme Implementation or his representative	Member
3.	Director, Indian Statistical Institute	Member
4.	Deputy Director General (IIICU)/ Joint Secretary level officer, looking after the work of ISI in Ministry of Statistics & Programme Implementation	Member Secretary

2. The Terms of Reference (ToR) of the Section 8(1) Committee under the Indian Statistical Institute Act, 1959 are as under:-

i. The Indian Statistical Institute (ISI) shall present before the Committee the programmes/projects it proposes to undertake in the upcoming Financial Year (FY) by 15th September of the immediate preceding FY. However, for FY 2024-25, the information of programmes/projects be submitted to Committee by 31-10-2023 along with its details and budget requirements, etc.

ii. The Committee shall review the proposal presented by ISI and prepare and submit its finalized list of programmes/projects which are deemed appropriate to be undertaken by the Institute for the upcoming FY by 22nd September of immediate preceding FY along with the budget requirement for each programmes/projects. However, for FY 2024-25, the committee shall submit its finalized list of programmes/projects to the Ministry by 15-11-2023 along with its details and budget requirements, etc.

iii. While reviewing the proposals of programmes/projects, the committee shall also advise ISI that the expenditure incurred by ISI is within the approved budget and in adherence to General Financial Rules and other relevant guidelines of Ministry of Finance as amended from time to time.

iv. The Committee will meet at least once in every quarter to review the ongoing projects of ISI and submit its observations to the ISI, with a copy to the Ministry.

v. Any other responsibility in the above matter, as may be assigned by the Government from time to time.

3. Secretarial assistance to the Committee shall be rendered by Indian Statistical Institute. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi.

4. Non-official members of the Committee shall be entitled to (i) TA/DA as per Department of Expenditure O.M. NO. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017 (ii) Accommodation in ISI guest house as per entitlement.

5. The expenditure in respect of Non-Official Members on conducting the meetings of the Committee, as per Government Rules governing the subject matter, shall be borne by the Indian Statistical Institute and that in respect of the Official Members shall be borne by their respective Ministry/Institute, as per their entitlement.

[F. No. I-12011/16/2013-ISI]

CHANDRADEEP KUMAR JHA Dy. Director General

India Code

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.09.29 12:22:41 +05'30'